झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अंतिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों की जहाँ है, जिस स्थिति में है, के आधार पर बिक्री हेतु मुहरबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 25.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी। निविदा उसी दिन प्रमण्डलीय कार्यालय में निविदा–दाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष 3:30 बजे अपराह्न में खोली जायेगी। निविदा–दाताओं को प्रत्येक वाहन के लिए 5000/– (पाँच हजार) रूपये मात्र अग्रधन की राशि अलग–अलग वाहन के लिए अलग–अगल मुहरबन्द लिफाफा में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह शाखा में भुगतेय हो, Divisional Forest Officer, Giridih west Forest Division के पदनाम से जमा करना होगा। निविदा में उच्चतम डाक वाले निविदा दाताओं को स्वीकृत राशि की 20% जमानत की राशि तत्काल जमा करना होगा। सफल निविदा दाताओं को नियमानुसार पूरी राशि 18% GST सहित 21 दिनों के अन्दर जमा करना होगा। निविदा के अन्य शर्त कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के सूचना पट्ट, गिरिडीह जिला के वेबसाईट (giridih.nic.in) एवं वन विभाग के पोर्टल (forest.jharkhand.gov.in) पर देखा जा सकता है।

वाहनों की सूची जिसके लिए निविदा आमंत्रित हैः–

क्र0	अधिहरण वाद सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं0	वाहन का अवस्थित स्थल का नाम
1.	01/2014	ट्रैक्टर एवं ट्रेलर Escort Powertac	Engine no. – 18919F Chassis no. – F435D18535	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
2.	02/2014	ट्रैक्टर एवं ट्रेलर HMT	Engine no. – 66800 Chassis no. – B8118	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
3.	02/2019	TATA-407	BR-47-0081	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
4.	07/2019	पिकअप वैन	JH-02A-6931	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
5.	04/2020	मोटर साइकल Bajaj Platina	JH-11U-6577	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
6.	01/2021	ट्रैक्टर एवं ट्रेलर HMT-3522	Engine no. – 60600	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
7.	02/2022	ट्रैक्टर एवं ट्रेलर HMT-3522	JH-11D-7138	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर
8.	19/2022	Mahindra ट्रैक्टर एवं ट्रेलर	Engine no. – NMG2JAJ-0009 Chassis no. – MBNTFAJBEMNG-03599	घोड़थम्बा ओ0पी0, थाना परिसर

Ankitkw 9/4/26

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

D:\2024-25 GIRIDIH WEST FOREST DIVISION\ISHWAR\Nivida\March 2026\Vehicle Details.docx

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत अंतिम रूप से अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों की जहाँ है, जिस स्थिति में है, के आधार पर बिक्री हेतु मुहरबन्द लिफाफा में निविदा द्वारा बिक्री के शर्ते निम्नवत् है:–

1. किसी भी वाहन के लिए उच्चतम मूल्य/उच्चतम निविदा की राशि स्वीकार करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं है और उसे बिना कोई कारण बताये बिक्री से उठा लेने या रद्द करने के लिए सक्षम होंगें।
2. सफल निविदा–दाताओं को नियमानुसार पुरी राशि 18% GST सहित 21 दिनों के अन्दर जमा करना होगा।
3. अगर सफल निविदा–दाता निर्धारित समय के अन्दर पुरी राशि जमा नहीं कर पाते है, तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन एवं जमानत राशि अथवा अन्य जमा राशि बिना कोई कारण बताये Forfiet कर ली जायेगी।
4. निविदा–दाताओं को प्रत्येक वाहन के लिए 5000/– (पाँच हजार) रूपये मात्र अग्रधन की राशि अलग–अलग वाहन के लिए अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफा में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट जो भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह शाखा में भुगतेय हो, Divisional Forest Officer, Giridih West Forest Division के पदनाम से जमा करना होगा।
5. असफल निविदा–दाताओं को अग्रधन की राशि निविदा पर अन्तिम निर्णय के पश्चात् तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
6. सफल निविदा–दाता द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि वाहन के मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी।
7. इच्छुक निविदा–दाता निविदा देने के पूर्व किसी भी दिन कार्यालय अवधि में वाहन का उनके स्थान पर निरीक्षण कर सकते है।
8. निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में 100/– (एक सौ) रूपये मात्र जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगें।
9. निविदा–दाता डाक द्वारा भी निविदा भेज सकते है, बशर्ते की विहित प्रपत्र में निविदा अग्रधन की राशि सहित पूरी तरह मुहरबंद लिफाफा में दिनांक 25.04.2026 को 3:00 बजे अपराहन के पहले कार्यालय में प्राप्त हो जाये।
10. सफल निविदा–दाता के द्वारा प्रस्तावित मूल्य सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त वाहन उनके पक्ष में मुक्त/हस्तान्तरित की जायेगी।
11. प्रत्येक वाहन में जिनके द्वारा निविदा डाला जायेगा केवल उन्ही लोगों के बीच Negotiation के माध्यम से उच्चतम मूल्य प्रस्तावित करने वाले के पक्ष में बिक्री की अनुशंसा की जायेगी।
12. Negotiation में वहीं व्यक्ति भाग ले सकते है, जिन्होने संबंधित वाहन के लिए निविदा डाला है।
13. बिक्री की जाने वाली वाहनों की सूची में उल्लेखित अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों पर किसी भी व्यक्ति को यह आपत्ति हो की सुनवाई किसी न्यायालय में विचारीधीन है तो वे सूचना प्रकाशन के दो दिनों के अन्दर अपना यह दावा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र के साथ कार्यालय अवधि में प्रस्तुत करेंगें।
14. यदि सूचना प्रकाशन के उपरान्त उक्त निर्धारित तिथि तक अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों पर कोई दावा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होगा तो यह समझा जायेगा कि किन्हीं को अधिहरित (CONFISCATED) वाहनों की निविदा द्वारा बिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
15. निविदा द्वारा बिक्री किये जाने के पश्चात् किसी भी वाहन पर प्रस्तुत दावा मान्य अथवा स्वीकार्य नहीं होगा।
16. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।

9/4/26

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

D:\2024-25 GIRIDIH WEST FOREST DIVISION\ISHWAR\Nivida\Term & Condition.docx